

22<sup>5</sup>/<sub>24</sub>

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय  
मी बात-बात आवाज लगावारी गरी  
परन्तु जायगी व उनके अधिकार  
कोई उपासित नही हुए। लिहाजा  
प्रकारों अहम पैरवी। अहम हालती  
मे खारीज रिफ जात है। पत्रावली  
फैसल सुना है इत नमक से  
कम है। निर्णय सुले न्यायालय  
मे (कृपया गप)।



~~उपखण्ड अधिवारी~~  
कुम्भलगढ़  
जिला-राजसंसुद (राज्य)

